राजस्थान सरकार 2024/119

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	67/24	14/3/2024	23/4/24 [illegible]	28/3/2024

अनवान

श्री प्यारी w/o कैलाशचन्द्र जाति सुथार श्री प्रभुलाल s/o जीतमल जाति धाकड़

निवासी चान्द जी की खेड़ी तह. बिजौलिया निवासी चान्द जी की खेड़ी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री सुमित जोशी श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: प्यारी बनाम प्रभुलाल

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 67/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 28/3/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
28/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 18/4/24 को वास्ते उचित आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
18/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 23/04/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश सुनाए गए। एवं तहसीलदार बिजौलिया को पत्र भेजा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 67/24 तारीख दायर 14/03/24

प्यारी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

——प्रार्थीया

बनाम्

1– प्रभुलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

2– सुमित्रा पत्नि सुरेश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

3– भू–स्वामी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

दिनांक :– 23/04/24

:–आदेशः–

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री प्यारी धाकड़ ने जरिये अभिभाषक **श्री श्री मोहनलाल जोशी, सुमित जोशी, गौरव शर्मा, जसवन्त सिंह सौलंकी** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र** सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ **जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 192 पर आराजी संख्या 737/2 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075- 2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 192 पर आराजी संख्या 737/2 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि** की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।
प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 67/24 तारीख दायर 14/3/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :– प्रकरण संख्या ....67/24........ प्रत्थरगढी बाबत्।

प्यारी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा (राज0)

——प्रार्थीयाया

बनाम्

1– प्रभुलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा (राज0)

2– सुमित्रा पत्नि सुरेश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा (राज0)

3– भू–स्वामी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 192 पर आराजी संख्या 737/2 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ जिला भीलवाडा